23/4/24

पत्रावली पेश हुई वकील वादी हाजिर
वादिनी वादी का प्रतिवादियों की
वादिनी पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर
दिया गया सुनवाई अंतिम पर्याप्त अवसर
दिये जाने के बावजूद भी अभिभाषक
तक वादिनी की रसीदे पेश नहीं / अतः
वादी का वाद अन्तर्गत आदेश 9
नियम 5 के तहत खारिज किया
जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर
नस्ती किया होकर दाखिल दफ्तर
हो।